आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग, फर्नीचर दुकान को बार-बार नोटिस देने के बाद भी था काम चालू, निगम ने किया सील बंद, रहवासियों ने की थी शिकायत

भिलाई नगर/ निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 शांति नगर के चंद्र नगर में सड़क नंबर 4 में स्थित एडी फर्नीचर को निगम ने सील बंद करने की कार्रवाई की है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी फर्नीचर दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसके लिए निगम ने दो बार फर्नीचर दुकान के संचालक को नोटिस जारी किया था तथा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य को बंद करने कहा था। परंतु दुकान संचालक के द्वारा नोटिस को नजरअंदाज करके फर्नीचर से संबंधित काम चालू रखा था। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य को लेकर जनप्रतिनिधि सहित रहवासियों ने इसकी शिकायत निगम से की थी। फर्नीचर दुकान संचालित होने से आसपास शोर-शराबा भी बढ़ गया था जिसके चलते रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसको देखते हुए वैशाली नगर जोन क्षेत्र की टीम ने फर्नीचर दुकान को सील बंद करने की कार्यवाही की है। प्रभारी आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके तारतम्य में सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश प्रसाद तिवारी ने फर्नीचर दुकान पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान आसपास के रहवासी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि अवैध अतिक्रमण , अवैध प्लाटिंग अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त ने दिए है। जहां भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तत्परता से कार्रवाई की जा रही है।